फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक – 16.06.2026

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के आरोप में वांछित 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2026 धारा 115(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/351(3)/352/191(2)/61(2) बीएनएस में वांछित अनार सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम रुपपुर मंगलीपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ व ब्रह्मदत्त पुत्र राम आसरे निवासी ग्राम कटरी तौफीक थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. अनार सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम रुपपुर मंगलीपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ।

02. ब्रह्मदत्त पुत्र राम आसरे निवासी ग्राम कटरी तौफीक थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 15.06.2026 को वादी अक्षन पुत्र नसीम खान निवासी ग्राम भाऊपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि अभियुक्तों द्वारा मेरे साथ धोखाधडी कर कूटरचित दस्तावेज व नाम व पता बदलकर तथा तथ्यो को छुपाकर फर्जी बैनामा करा दिया जिसके विषय में कुछ कहने पर गाली गलौज व हातापाई करते हुए मारपीट करने लगते हैं व जान से मारने की धमकी भी देते हैं। वादी की तहरीर के आधार थाना अमृतपुर पर मु0अ0सं0 78/2026 धारा 115(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/351(3)/352/191(2)/61(2) बीएनएस बनाम अनार सिंह उपरोक्त आदि 06 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त 01. अनार सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम रुपपुर मंगलीपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ 02. ब्रह्मदत्त पुत्र राम आसरे निवासी ग्राम कटरी तौफीक थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा अपनी गलती की माँफी मांगते हुये अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त अनार सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 78/2026 धारा 115(2)/318(4)/336(3)/ 338/340(2)/351(3)/352/191(2)/61(2) बीएनएस थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ ।
02. मु0अ0सं0 521/2017 धारा 160, 160, 336, 336, 504, 504 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ ।
03. मु0अ0सं0 156/2018 धारा 147, 323, 506 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ ।
04. मु0अ0सं0 234/2018 धारा 336, 427, 506 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ ।
05. मु0अ0सं0 241/2018 धारा 447 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ ।
06. मु0अ0सं0 365/2017 धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान नि0 अधि0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ।

अभियुक्त ब्रह्मदत्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 78/2026 धारा 115(2)/318(4)/336(3)/ 338/340(2)/351(3)/352/191(2)/61(2) बीएनएस थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह सोलंकी
02. उ0नि0 श्री राहुल सिंह
03. रि0का0 ध्रुव शुक्ला
04. रि0का0 दिनेश

मीडिया सेल फतेहगढ़।

ऑपरेशन दहन | फतेहगढ़ पुलिस
• 16 जून 2026 •
497 किग्रा 739 ग्राम
गांजा नष्ट किया गया
मानवीय न्यायालय के निर्देशानुसार
विल वर्ल्ड एनवायर्नमेंटल ट्रीटमेंट प्लांट कानपुर में निस्तारण
फतेहगढ़ पुलिस